इंटरनेशनल कलेक्टिव
इन सपोर्ट ऑफ
फिशवर्कर्स (ICSF)

खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में

# सतत छोटे पैमाने की मात्स्यिकी सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक दिशानिर्देश

(Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication - in Hindi)

Published by arrangement with the Food And Agriculture Organization of the United Nations (FAO) by the International Collective in Support of Fishworkers

खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में

# सतत छोटे पैमाने की मात्स्यिकी सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक दिशानिर्देश

(Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries
in the Context of Food Security and Poverty Eradication - in Hindi)

इंटरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशवर्कर्स (ICSF)
चेन्नई, भारत, 2015

ISBN 978-93-80802-40-4

कॉपीराइट आईसीएसएफ (©ICSF), 2015

यह कार्य मूलत: फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन ऑफ दि यूनाइटेड नेशंस (एफएओ) द्वारा अंग्रेजी में ''Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication'' के तौर पर प्रकाशित किया गया था. यह हिंदी अनुवाद की व्यवस्था इंटरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशवकर्स द्वारा की गई है. विसंगतियों की स्थिति में, मूल भाषा से निर्धारण होगा.

इस जानकारी उत्पाद में प्रयुक्त पदनाम एवं सामग्री की प्रस्तुति किसी देश, राज्य, शहर या क्षेत्र या उसके अथॉरिटी के कानूनी या विकास की स्थिति से संबंधित, या उसकी सरहद या सीमा के परिसीमन से संबंधित कुछ भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन ऑफ दि यूनाइटेड नेशंस (एफएओ) की ओर से किसी विचार की अभिव्यक्ति से कोई मतलब नहीं रखती है. किसी विशिष्ट कंपनियों या निर्माताओं के उत्पादों के जिक्र, चाहे उनका पेटेंट हुआ हो या नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं रखते हैं कि जिक्र नहीं किए गए समान प्रकृति के दूसरों की वरीयता में, इनका एफएओ द्वारा समर्थन या सिफारिश किया गया है. इस जानकारी उत्पाद में व्यक्त किए गए विचार लेखक(कों) के हैं और ये एफएओ की नीतियों या विचारों को आवश्यक तौर पर प्रतिबिंबित नहीं करते हैं.

अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: बिपिन चन्द्र चतुर्वेदी

प्रकाशक :
इंटरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशवर्कर्स (ICSF)
नम्बर 55, कॉलेज रोड
चेन्नई – 600 006 भारत
फोन : 91-44-28275303
फैक्स : 91-44-28254457
www.icsf.net

इंटरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशवर्कर्स (ICSF)
नम्बर 55, कॉलेज रोड, चेन्नई – 600 006, भारत
www.icsf.net

International Collective in Support of Fishworkers (ICSF)
No. 55 College Road, Chennai 600 006, India
www.icsf.net

चन्द्रिका शर्मा के सम्मान में, जिन्होंने
दुनिया भर में मछुआरों के जीवन की
बेहतरी के लिए अथक काम किया एवं
जिन्होंने इन दिशानिर्देशों को तैयार करने
के लिए अमूल्य योगदान दिया.

# भूमिका

खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में सतत छोटे पैमाने की मात्स्यिकी सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एसएसएफ दिशानिर्देश) अंतरराष्ट्रीय तौर पर सहमत पहला दस्तावेज है जो कि बेहद महत्वपूर्ण - लेकिन अब तक अक्सर उपेक्षित – छोटे पैमाने की मात्स्यिकी को पूरी तरह समर्पित है.

छोटे पैमाने की मात्स्यिकी क्षेत्र का रूझान मजबूती से स्थानीय समुदायों, परंपराओं और मूल्यों में निहित होता है. कई छोटे पैमाने के मछुआरे स्वनियोजित हैं और आम तौर पर अपने घरों या समुदायों के भीतर प्रत्यक्ष उपभोग के लिए मछली प्रदान करते हैं. महिलाएं विशेष रूप से मछली पकड़ने के बाद और प्रसंस्करण गतिविधियों में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार हैं. अनुमान है कि मछली पकड़ने के काम में प्रत्यक्ष तौर पर निर्भर समस्त लोगों में से करीब 90 प्रतिशत लोग छोटे पैमाने की मात्स्यिकी क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस तरह, छोटे पैमाने की मात्स्यिकी नदी तट के समुदायों की आजीविका को सहारा देते हुए, स्थानीय अर्थव्यवस्था को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, रोजगार एवं अन्य गुणक प्रभाव प्रदान करते हुए, आर्थिक और सामाजिक इंजन के रूप में काम करती है.

एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज की जरूरत की वजह से एसएसएफ दिशानिर्देश लंबे समय से अपेक्षित हैं जो कि छोटे पैमाने की मात्स्यिकी को संबोधित करने पर आम सहमति के सिद्धांत एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है. एसएसएफ दिशानिर्देश जवाबदेह मात्स्यिकीके लिए आचार संहिता के पूरक हैं, जो कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के प्रावधानों के साथ-साथ, व्यापक तौर पर स्वीकार्य एवं क्रियान्वित अंतरराष्ट्रीय मात्स्यिकी दस्तावेज है. एसएसएफ दिशानिर्देश बारकी से वॉलंटरी गाइड्लाइन्स ऑन द रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस ऑफ टेन्यूर ऑफ लैंड, फिशरीस एंड फॉरेस्ट्री इन द कॉटेक्स्ट ऑफ नॅशनल फुड सेक्यूरिटी, द वॉलंटरी गाइड्लाइंस टू सपोर्ट द प्रोग्रेसिव रियलाइज़ेशन ऑफ द राइट टू अडेक्वेट फुड इन द कॉटेक्स्ट ऑफ नॅशनल फुड सेक्यूरिटी, एवं द प्रिन्सिपल्स फॉर रेस्पॉन्सिबल इनवेस्टमेंट इन अग्रिकल्चर एंड फुड सिस्टम्स से भी जुड़े हुए हैं. इन दस्तावेजों की ही तरह, एसएसएफ दिशानिर्देश मानवाधिकार को हासिल करने एवं वंचित एवं उपेक्षित समूहों की जरूरतों को पूरा करने को उच्च प्राथमिकता देते हैं.

एसएसएफ दिशानिर्देश मात्स्यिकी पर एफएओ कमेटी (सीओएफआई) के उनतीसवें एवं तीसवें सत्रों के सिफारिशों पर आधारित नीचे से ऊपर की भागीदारीपूर्ण विकास प्रक्रिया के परिणाम हैं. 2010 और 2013 के बीच, एफएओ ने एक वैश्विक प्रक्रिया में मदद की  जिसमें 6 क्षेत्रीय और और 20 से अधिक नागरिक समाज संगठन आधारित राष्ट्रीय विचार-विमर्श गोष्ठियों में 120 से अधिक देशों देशों से सरकारों, छोटे पैमाने के मछुआरों, मछली मजदूरों उनके संगठनों, शोधकर्ताओं, विकास भागीदारों और अन्य संबंधित हितधारकों के 4000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए. इन विचार-विमर्शों के परिणामों ने एफएओ के तकनीकी विचार-विमर्श के लिए आधार दिया, वह गोष्ठी मई 2013 में हुई एवं फरवरी 2014 में मिलकर अंतिम विषय-वस्तु  के लिए सहमति बनी. सीओएफआई के 31वें सत्र में एसएसएफ दिशानिर्देश के लिए अनुमोदन करना सुरक्षित और सतत छोटे पैमाने की मात्स्यिकी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है.

एसएसएफ दिशानिर्देश संगठन की दृष्टि के समर्थन में एफएओ के नए रणनीतिक ढांचे में उल्लिखित अनुरूप गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी साधन हैं. ये सभी स्तरों पर बातचीत, नीति प्रक्रियाओं और कार्यों का मार्गदर्शन करेंगे और क्षेत्र को खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए अपने पूरे योगदान को एहसास करने में मदद करेंगे. अब एफएओ के सदस्यों एवं भागीदारों के लिए एसएसएफ दिशानिर्देश को क्रियान्वित करने की चुनौती है.

एफएओ एसएसएफ दिशानिर्देश के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकारों, छोटे पैमाने के मछुआरों, मछली मजदूरों और उनके संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, शोध और शैक्षणिक समुदायों, निजी क्षेत्र और दाता समुदाय सहित सभी हितधारकों के साथ खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में सतत छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की दिशा में सहयोग करना जारी रखेगी.

जोस ग्रैजियानो डा सिल्वा
एफएओ के महानिदेशक

# विषय सूची

संक्षिप्तिकरण एवं परिवर्णी शब्द viii
प्रस्तावना ix

## भाग 1
## परिचय

1. उद्देश्य 1
2. प्रकृति और कार्य क्षेत्र 1
3. मार्गदर्शक सिद्धांत 2
4. अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के साथ संबंध 3

## भाग 2
## जवाबदेह मात्स्यिकी और सतत विकास

5. छोटे पैमाने पर मात्स्यिकी और संसाधन प्रबंधन में स्वामित्व का शासन 5
   5 क. स्वामित्व का जवाबदेह शासन 5
   5 ख. सतत संसाधन प्रबंधन 6
6. सामाजिक विकास, रोजगार और उपयुक्त काम 8
7. मूल्य श्रृंखला, उत्पादन के बाद व व्यापार 10
8. लैंगिक समानता 12
9. आपदा जोखिम और जलवायु परिवर्तन 12

## भाग 3
## एक अनुकूल माहौल सहयोगी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

10. नीति सांमजस्यता, संस्थागत समन्वय और सहयोग 15
11. सूचना, अनुसंधान और संचार 16
12. क्षमता विकास 17
13. कार्यान्वयन सहयोग और निगरानी 18

# संक्षिप्तिकरण एवं परिवर्णी शब्द

## सीसीए

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन

## सीईडीएडब्ल्यू

महिलाओं के प्रति
समस्त भेदभाव उन्मूलन
पर अनुबंध

## सीएसओ

नागरिक समाज संगठन

## डीआरएम

आपदा जोखिम प्रबंधन

## ईएएफ

मात्स्यिकी के लिए पारिस्थितिकी
तंत्र दृष्टिकोण

## एचआईवी/एड्स

मानव इम्युनोडिफीसिअन्सी
वायरस/एड्स

## आईसीईएससीआर

आर्थिक, सामाजिक और
सांस्कृतिक अधिकारों पर
अंतरराष्ट्रीय अनुबंध

## आईजीओ

अंतरसरकारी
संगठन

## आईएलओ

अंतरराष्ट्रीय श्रम
संगठन

## आईएमओ

अंतरराष्ट्रीय समुद्री
संगठन

## आईयूयू (मात्स्यिकी)

अवैध, असूचित एवं
अनियंत्रित (मात्स्यिकी)

## एमसीएस

निगरानी, नियंत्रण
और निरीक्षण

## एनजीओ

गैर सरकारी
संगठन

## रियो+२०

सतत विकास पर
संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
(रियो+20)

## द कोड

जवाबदेह मात्स्यिकी
के लिए आचार संहिता

## यूएन

संयुक्त राष्ट्र

## यूएनडीआरआईपी

आदिवासी लोगों के
अधिकारों पर
संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र

## यूएनएफसीसी

जलवायु परिवर्तन पर
संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अनुबंध

## डब्ल्यूटीओ

विश्व व्यापार संगठन

# प्रस्तावना

ये खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में सतत लघु मात्स्यिकी सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक दिशानिर्देश जवाबदेह मात्स्यिकी (कोड) के लिए 1995 एफएओ आचार संहिता के पूरक के रूप में विकसित किये गये हैं. ये समग्र सिद्धांतों और संहिता के प्रावधानों के समर्थन में छोटे पैमाने पर मात्स्यिकी के संबंध में पूरक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विकसित किए गए. इसके अनुसार, दिशानिर्देशों का इरादा छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की पहले से ही महत्वपूर्ण भूमिका की दृश्यता, मान्यता और वृद्धि का समर्थन करना और भूख और गरीबी उन्मूलन की दिशा में वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान करना है. दिशानिर्देश एक मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए कमजोर और उपेक्षित लोगों सहित छोटे पैमाने के मछुआरों और मछली मजदूरों संबंधित गतिविधियों पर जोर देने के साथ वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए जवाबदेह मात्स्यिकी एवं सतत सामाजिक और आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं.

यह जोर दिया जाता है कि इन दिशानिर्देशों का दायरा विकासशील देशों की जरूरतों पर ध्यान देने के साथ स्वैच्छिक और वैश्विक है.

छोटे पैमाने पर एवं कारीगरी मात्स्यिकी में पुरूषों एवं महिलाओं द्वारा की जाने वाली मछली पकड़ने से पूर्व, मछली पकड़ने एवं मछली पकड़ने के बाद की समस्त गतिविधियां शामिल हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा और पोषण, गरीबी उन्मूलन, समान विकास एवं सतत संसाधन[1] उपयोग करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. छोटे पैमाने पर मात्स्यिकी स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं और स्थानीय एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को सहयोग करने के लिए आय उत्पन्न करते हैं.

छोटे पैमाने पर मात्स्यिकी से विश्व भर की मात्स्यिकी का करीब आधा योगदान होता है. प्रत्यक्ष मानवीय उपभोग की नियत से मछली पकड़ने पर विचार करें तो, छोटे पैमाने पर मात्सियकी द्वारा योगदान बढ़कर दो-तिहाई हो जाता है. इस संदर्भ में देश के अंदर मात्स्यिकी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जहां अधिकांश मछली पकड़ने का काम मानव उपभोग के लिए होता है. छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में दुनिया भर के 90 प्रतिशत से अधिक मछुआरे रोजगार में लगे हैं, जिनमें आधे से अधिक महिलाएं हैं. पूर्णकालिक या अंशकालिक मछुआगिरी के तौर पर रोजगार के अलावा मौसमी या कभी-कभार मछली पकड़ने और संबंधित गतिविधियां लाखो लोगों की आजीविका में महत्वतपूर्ण योगदान करती हैं. ये गतिविधियां उप-व्यवसाय को गति दे सकती हैं या कठिन समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो

1. इस दस्तावेज में 'मात्स्यिकी संसाधन' शब्दावली में समस्त जलीय संसाधन शामिल हैं, (समुद्र एवं मीठे जल दोनों में) जो कि आम तौर पर मछली पकड़ने से संबंधित हैं.

सकती हैं. कई छोटे पैमाने के मछुआरे स्व-रोजगार में लगे हुए हैं और अपने परिवारों एवं समुदायों के लिए प्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं, साथ साथ व्यावसायिक मात्स्यिकी, प्रसंस्करण एवं विपणन में लगे हुए हैं. मात्स्यिकी एवं संबंधित गतिविधियां अक्सर तटीय, झील एवं नदी तट के समुदायों में अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देते हैं और अन्य क्षेत्रों में बहुप्रभाव उत्पयन्न करने वाले साधन तैयार करते हैं.

छोटे पैमाने की मात्स्यिकी एक विविध और गतिशील उपक्षेत्र पेश करती है, जिसमें अक्सर मौसमी प्रवास निहित होता है. उपक्षेत्र की सटीक विशेषताएं अलग अलग स्थानों के अनुसार अलग अलग होती हैं, वास्तव में, छोटे पैमाने की मात्स्यिकी का मजबूत भरोसा स्थानीय समुदायों में होता है, जिनके एतिहासिक संबंध अक्सर आसपास के मात्स्यिकी संसाधनों, परंपराओं एवं मूल्यों, एवं सहयोगी सामाजिक लगाव में दिखते हैं. कई छोटे पैमाने के महीगिरों, मछुआरों के लिए, मात्स्यिकी जीवन शैली पेश करती है और उपक्षेत्र विविध एवं सांस्कृतिक समृद्धि को साकार करता है जो कि वैश्विक महत्व का होता है. कई छोटे पैमाने के महीगीर, मछुआरे एवं उनके समुदाय – कमजोर एवं उपेक्षित समूहों सहित – मात्स्यिकी संसाधन एवं भूमि की उपलब्धता पर प्रत्यक्ष तौर पर निर्भर होते हैं. तटीय/तट क्षेत्र इलाकों में मछली पकड़ना सुनिश्चित करने एवं सुलभ करने के लिए, अतिरिक्तगतिविधियों के लिए (प्रसंस्करण एवं विपणन सहित), एवं आवास और अन्य आजीविका संबंधी सहयोग के लिए जमीन के पट्टे (स्वामित्व) का अधिकार अहम होता है. जलीय इकोसिस्टम एवं उनसे जुड़ी जैवविविधता का दुरूस्त होना उनकी आजीविका एवं समग्र कल्याण में योगदान के लिए उपक्षेत्र की क्षमता के बुनियादी आधार होते हैं.

उनके महत्व के बावजूद, कई छोटे पैमाने के मछुआरा समुदाय लगातार उपेक्षित हैं, और खाद्य सुरक्षा और पोषण, गरीबी उन्मूलन, समान विकास और सतत संसाधन – जिनसे वे अन्य दोनों ही लाभान्वित होते हैं - का पूरी तरह से उपयोग नहीं होता है.

छोटे पैमाने की मात्स्यिकी सुनिश्चित करने एवं उनका योगदान बढ़ाने में कई चुनौतियों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है. पिछले तीन से चार दशकों में कई मामलों में दुनिया भर के मात्स्यिकी क्षेत्र में संसाधनों के अतिदोहन की वजह से प्राकृतिक आवासों एवं इकोसिस्टेम पर खतरा बढ़ा है. गैर-भागीदारी और अक्सर केंद्रीकृत मत्स्य प्रबंधन प्रणालियों, तीव्र तकनीकी विकास एवं जनसांख्यिकीय बदलाव के फलस्वरूप पीढ़ियों से कायम रही छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में संसाधन लाभों के आबंटन एवं साझा करने की पारंपरिक प्रथाएं बदल गयी हैं. छोटे पैमाने के मछुआरा समुदाय आमतौर पर असमान सत्ता संबंधों से भी प्रभावित होते हैं. कई जगहों पर, बड़े पैमाने की मात्स्यिकी क्रियाकलापों के साथ संघर्ष एक मुद्दा है, और वहां छोटे पैमाने की मात्स्यिकी एवं अन्य क्षेत्रों के बीच बहुत अधिक आपसी निर्भरता या प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है. इन अन्य क्षेत्रों के पास अक्सर मजबूत राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव हो सकता है, एवं इनमें शामिल हैं : पर्यटन, मछली पालन, कृषि, ऊर्जा, खनन, उद्योग और बुनियादी ढांचे का विकास.

जहां छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों में गरीबी मौजूद है, वह एक बहुआयामी प्रकृति का है और यह केवल

कम आय की वजह से नहीं है बल्कि उन कारकों की भी वजह से है जो कि नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों सहित मानवाधिकारों का पूरा उपभोग करने में बाधक हैं. छोटे पैमाने के मछुआरे आम तौर पर दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं और वे बाजार की पहुंच से दूर होते हैं, और उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं तक पहुँच कम हो सकती है. उनकी अन्य विशेषताओं में औपचारिक शिक्षा का कम होना, कमजोर स्वास्थ्यज (अक्सर औसत से अधिक एचआईवी/एड्स होना शामिल है) और अपर्याप्त सांगठनिक ढांचा शामिल है. उन्हें अवसर भी कम उपलब्धत होते हैं, क्योंकि छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों को वैकल्पिक आजीविकाओं के अभाव, युवा बेरोजगारी, अस्वस्थ एवं असुरक्षित काम करने की स्थिति, बेगारी एवं बाल श्रम का सामना करना पड़ता है. प्रदूषण, पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और प्राकृतिक और मानव प्रेरित आपदा छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों के खतरों को और बढ़ाते हैं. ये सभी कारक छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों की आवाज को सुनने, उनके मानवाधिकारों एवं पट्टे के अधिकारों की रक्षा करने, मात्स्यिकी संसाधन जिन पर वे निर्भर हैं उनके सतत उपयोग को सुनिश्चित करने को कठिन बना देते हैं.

ये दिशानिर्देश छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदायों, नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ), सरकारों, क्षेत्रीय संगठनों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक भागीदारी और परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किये गये हैं. 20-24 मई 2013 एवं 3-7 फरवरी 2014 को दो सत्रों में फूड एंड एग्रीकल्चरर ऑर्गनाइजेशन (एफएओ) के एक तकनीकी परामर्श के बाद दिशानिर्देशों की समीक्षा हुई. उनमें समानता और गैर-भेदभाव, भागीदारी और समावेश, जवाबदेही और कानून के शासन और समस्त सार्वभौमिक, अविभाज्य, परस्पर संबद्ध और अन्योन्याश्रित मानवाधिकारों के सिद्धांत सहित महत्वपूर्ण विचारों एवं सिद्धांतों पर ध्यान दिया गया. ये दिशानिर्देश अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के संगत एवं उन्हें बढ़ावा देने वाले हैं. ये दिशानिर्देश संहिता और उसके संबंधित उपकरणों के पूरक हैं. ये उपयुक्त होने पर संहिता से संबंधित तकनीकी दिशानिर्देशों को भी ध्यान में रखते हैं, जैसे कि जवाबदेह मात्स्यिकी के लिए तकनीकी दिशानिर्देश संख्या 10 "गरीबी उन्मूलन एवं खाद्य सुरक्षा के लिए छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के योगदान को बढ़ाना", इसके साथ ही अन्य स्वैच्छिक उपकरण, जैसे कि भूमि के पट्टे के जवाबदेह शासन पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में मात्स्यिकी एवं वन (भू-संपत्ति दिशानिर्देश), एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में समुचित भोजन के अधिकार के प्रगतिशील प्राप्ति के समर्थन में स्वैच्छिक दिशानिर्देश (भोजन का अधिकार पर दिशानिर्देश). राज्य एवं अन्य हितधारकों को उपयुक्त दायित्वों, स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं और उपलब्ध मार्गदर्शन को पूरी तरह एकीकृत करने के लिए इन अन्य दिशानिर्देशों के साथ साथ प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय उपकरणों पर भी परामर्श करने को प्रोत्साहित किया जाता है.

# भाग 1
# परिचय

## 1. उद्देश्य

1.1 इन दिशानिर्देशों के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

क) वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए छोटे पैमाने की मात्स्यिकी का योगदान बढ़ाना और समुचित भोजन के अधिकार के प्रगतिशील प्राप्ति का समर्थन करना,

ख) छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों के न्यायसंगत विकास के लिए योगदान करना और टिकाऊ मात्स्यिकी प्रबंधन के संदर्भ में मछुआरों और मछली मजदूरों का गरीबी उन्मूलन एवं उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना,

ग) जवाबदेह मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता (कोड) और संबंधित उपकरणों के अनुरूप मछली संसाधनों के सतत उपयोग, समझदारी और जिम्मेदार प्रबंधन एवं संरक्षण हासिल करना,

घ) पृथ्वी एवं इसके निवासियों के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ भविष्य के लिए छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के योगदान को बढ़ावा देना,

ङ) जवाबदेह और टिकाऊ छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की वृद्धि के लिए पारिस्थितिकी तंत्र अनुकूल और भागीदारीपूर्ण नीतियों, रणनीतियों एवं कानूनी ढांचे के विकास और क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना जिस पर राज्यों एवं हितधारियों द्वारा विचार किया जा सके, एवं

च) छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के पुश्तैनी और पारंपरिक ज्ञान और और उनके संबंधित बाधाओं और अवसरों पर विचार करते हुए, छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की संस्कृति, भूमिका, योगदान और क्षमता पर जनता में जागरूकता बढ़ाना और ज्ञान की उन्नति को बढ़ावा देना.

1.2 निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी के लिए, एवं मात्स्यिकी संसाधनों के सतत उपयोग के लिए जिम्मेदारियों को अपनाने के लिए, और विकासशील देशों की जरूरतों एवं उपेक्षित और कमजोर समूहों के लाभ पर जोर देते हुए, महिलाओं एवं पुरूषों दोनों को शामिल करते हुए, छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों को सशक्त करके मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर इन उद्देश्यों को हासिल किया जाना चाहिए.

## 2. प्रकृति और कार्य क्षेत्र

2.1 ये दिशानिर्देश स्वभाव में स्वैच्छिक हैं. कार्य क्षेत्र में वैश्विक होते हुए लेकिन विकासशील देशों की जरूरतों पर विशेष फोकस करते हुए, दिशानिर्देशों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी पर समस्त संदर्भों में लागू किया जाना चाहिए.

2.2 ये दिशानिर्देश समुद्री और अंतर्देशीय जल दोनों के ही छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के लिए प्रासंगिक है, अर्थात मूल्य श्रृंखला, एवं मछली पकड़ने से पहले एवं बाद की गतिविधियों के साथ साथ समस्त गतिविधियों में कार्यरत पुरूषों एवं महिलाओं के लिए. छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने एवं जलीय कृषि के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को मान्यता दी जाती है, लेकिन ये दिशानिर्देश मुख्य रूप से मछली पकड़ने पर फोकस करते हैं.

2.3 ये दिशानिर्देश देश के सभी स्तरों पर एफएओ सदस्यों एवं गैर सदस्यों को, साथ ही उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, अंतरराष्ट्रीय और अंतर सरकारी संगठनों और छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने में भूमिका निभाने वालों (मछुआरों, मछली पकड़ने वाले मजदूरों, उनके समुदायों, पारंपरिक एवं प्रचलित प्राधिकारों, एवं संबंधित पेशेवर संगठनों एवं नागरिक समाज संगठनों) को संबोधित हैं. इनके लक्ष्य शोध एवं शैक्षणिक संस्थान, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) एवं मात्स्यिकी क्षेत्र, तटीय एवं ग्रामीण विकास और जलीय वातावरण के उपयोग से संबंधित अन्य सब लोग हैं.

2.4 ये दिशानिर्देश छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की महान विविधता को मान्यता देते हैं और यह कि उप-क्षेत्र की कोई एकल, मान्य परिभाषा नहीं है. इसके अनुसार, दिशानिर्देश न तो छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की एक मानक परिभाषा बताते हैं और न ही ये बताते

हैं कि राष्ट्रीय संदर्भ में दिशानिर्देश कैसे लागू किया जाना चाहिए. ये दिशानिर्देश छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले एवं कमजोर मछुआरों के जीवन यापन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं. दिशानिर्देश को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि कौन सी गतिविधियां एवं ऑपरेटरों को छोटे पैमाने का माना जाता है, और कमजोर एवं उपेक्षित समूहों को पहचानने में अधिक ध्यान देने की जरूरत है. इसे क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर एवं उस विशेष संदर्भ में लिया जाना चाहिए जिन पर ये लागू किये जाते हैं. राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे पहचान की लागू करने की प्रक्रिया सार्थक एवं पर्याप्त भागीदारी, परामर्शपूर्ण, बहुस्तरीय और उद्देश्य उन्मुख प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित हो ताकि महिलाओं एवं पुरूषों दोंनों की आवाज सुनी जाएं. सभी पक्षों को ऐसी प्रक्रियाओं में उचित और प्रासंगिक के रूप में भाग लेना चाहिए.

2.5 इन दिशानिर्देशों की व्याख्या एवं क्रियान्वायन राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली और उनके संस्थानों के अनुसार किया जाना चाहिए.

## 3. मार्गदर्शक सिद्धांत

3.1 ये दिशानिर्देश विशेष रूप से कमजोर और उपेक्षित समूहों और समुचित भोजन के अधिकार के प्रगतिशील अहसास का समर्थन करने की जरूरत पर ध्यान देते हुए, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों, जवाबदेह मात्स्यिकी मानकों एवं प्रथाओं और सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्रासम्मेकन (रियो+20) के परिणाम दस्तावेज 'द फ्यूचर वी वांट', संहिता एवं अन्य संबंधित उपकरणों के अनुसार सतत विकास परिणाम दस्तावेज़ पर आधारित हैं.

**1. मानवाधिकार और गरिमा :** सभी व्यक्तियों की अंतर्निहित गरिमा और समान एवं अविच्छेद मानवाधिकारों की पहचान करना, समस्त पक्षों को मानवाधिकार सिद्धांतों एवं छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने पर निर्भर समुदायों के लिए प्रयोज्यता को पहचानना, सम्मान करना, बढ़ावा देना और सुरक्षा देना चाहिए, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों द्वारा निर्धारित किया गया है : सार्वभौमिकता और अपरिहार्यता; अविभाज्यता; अन्योन्याश्रयता और पारस्परिक निर्भरता; गैर भेदभाव और समानता; भागीदारी और समावेश; जवाबदेही और विधि शासन. राज्यों को छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने के काम में मानवाधिकारों के रक्षकों के अधिकारों का सम्मान एवं सुरक्षा करनी चाहिए.

छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने से संबंधित या उन्हें प्रभावित करने वाले व्यापार उद्यमों सहित सभी गैर सरकारी पक्षों की जिम्मेदारी है कि वे मानवाधिकारों का सम्मान करें. सरकार को गैर सरकारी पक्षों के छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों के दायरे को नियंत्रित करना चाहिए ताकि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप उनका अनुपालन सुनिश्चित हो.

**2. संस्कृतियों का सम्मान :** महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देते हुए और महिलाओं के खिलाफ समस्त भेदभाव उन्मूलन पर सम्मेलन (सीईडीएडब्यू) के अनुच्छेद 5 को ध्यान में रखते हुए, आदिवासी लोगों एवं जातीय अल्पसंख्यकों सहित, छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों के मौजूदा सांगठनिक स्वरूपों, पारंपरिक एवं स्थानीय ज्ञान एवं प्रथाओं की पहचान एवं सम्मान करना.

**3. गैर-भेदभाव :** नीतियों और व्यवहार में छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन को बढ़ावा देना.

**4. लैंगिक समानता और निष्पक्षता :** लैंगिक समानता और निष्पक्षता किसी भी विकास के लिए मौलिक है. छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, समान अधिकार और अवसर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

**5. निष्पक्षता और समानता :** समस्त मानवाधिकारों का आनंद लेने के समान अधिकार सहित सभी लोगों के न्याय एवं निष्पक्ष व्यवहार - कानूनी तौर पर और व्यवहार दोनों में – को बढ़ावा देना. एक ही समय में, महिलाओं और पुरुषों के बीच मतभेदों को स्वीकार किया जाना चाहिए और समानता में कमी को ठीक करने के लिए विशेष उपाय किये जाने चाहिए, अर्थात विशेष रूप से कमजोर और उपेक्षित समूहों के लिए जहां समान परिणामों को प्राप्त करना आवश्यक हो वहां अधिमान्य उपचार का उपयोग करना.

**6. परामर्श और भागीदारी :** मछली संसाधनों एवं जहां छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने का क्रियाकलाप होता है और आसपास के इलाकों से संबंधित पूरी निणर्य प्रक्रिया में आदिवासी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र (यूएनडीआरआईपी) को ध्यान में रखते हुए, और विभिन्न पक्षों के बीच शक्ति के मौजूदा असंतुलन पर विचार करते हुए, आदिवासी लोगों को शामिल करते हुए, छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों की सक्रिय, मुक्त, प्रभावी, सार्थक एवं जानकारी युक्त भागीदारी सुनिश्चित करना. इसमें ऐसा किये जाने से पूर्व निर्णयों द्वारा प्रभावित हो सकने वालों से फीडबैक एवं मदद, एवं उनके योगदान के प्रति जवाब को शामिल करना चाहिए.

**7. विधि का शासन :** कानूनों के माध्यम से छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के लिए विधि आधारित दृष्टिकोण अपनाना जो कि लागू भाषाओं में व्यापक रूप से प्रचारित हो, सभी के लिए लागू हो, समान रूप से लागू एवं स्वतंत्र रूप से निर्णायक हो, और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत मौजूदा दायित्वों के संगत हो, और लागू होने योग्य क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के अंतर्गत स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं से संबंधित हो.

**8. पारदर्शिता :** लागू होने वाली भाषाओं में स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं व्यापक रूप से प्रचारित नीतियां, कानून एवं प्रक्रियाएं, और लागू होने वाली भाषाओं एवं सभी के लिए उपलब्ध प्रारूपों में व्यापक रूप से प्रचारित निर्णय.

**9. जवाबदेही :** विधि के शासन के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तियों, सार्वजनिक एजेंसियों, एवं गैर सरकारी पक्षों को उनके कार्यों एवं निर्णयों के लिए जवाबदेह ठहराना.

**10. आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता :** मात्स्यिकी संसाधनों के अति दोहन और नकारात्मक, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव सहित अवांछनीय परिणामों के खिलाफ रक्षा करने के लिए एहतियाती दृष्टिकोण और जोखिम प्रबंधन को लागू करना.

**11. समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण :** पारिस्थितिक तंत्र के सभी भागों की व्यापकता और स्थयित्व के साथ साथ छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए, एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर मात्स्यिकी के लिए इकोसिस्टसम दृष्टिकोण को पहचानना, एवं क्षेत्रीय समन्वय सुनिश्चित करना क्योंकि छोटे पैमाने की मात्स्यिकी कई अन्य क्षेत्रों से बारीकी से जुड़ी एवं उन पर निर्भर होती है.

**12. सामाजिक जवाबदेही :** सामुदायिक एकजुटता और सामूहिक और कॉर्पोरेट जवाबदेही को बढ़ावा देना और ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना जो कि हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने को बढ़ावा दे.

**13. संभाव्यता और सामाजिक एवं आर्थिक व्यवहार्यता:** यह सुनिश्चित करना कि छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के शासन एवं विकास में सुधार के लिए नीतियां, रणनीतियां, योजनाएं एवं कार्रवाई सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत एवं विवेकपूर्ण हों. वे मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप जानकारी युक्त हों, बदलती हुई परिस्थितियों में कार्यान्वयन योग्य और अनुकूलनीय हों, एवं वे समुदाय के लचीलेपन को सहयोग करें.

## 4. अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के साथ संबंध

4.1 इन दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मौजूदा अधिकारों एवं दायित्वों के संगत और लागू करने योग्य क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के तहत स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के संबंध में व्याख्या और लागू किया जाना चाहिए. ये मानवाधिकार, जवाबदेह मात्स्यिकी एवं सतत विकास को ध्यान देने वाले राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहल के पूरक हों एवं उनका समर्थन करें. दिशानिर्देश संहिता के पूरक के तौर पर विकसित किये गये एवं इस उपकरण के अनुरूप जवाबदेह मात्स्यिकी एवं सतत संसाधन उपयोग को समर्थन करते हैं.

4.2 दिशानिर्देश में कोई भी बात को किसी अधिकारों या दायित्वों को सीमित या कम आंकने के तौर पर नहीं पढ़ा जाना चाहिए जिनसे राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत संबंधित हो सकते हैं. ये दिशानिर्देश नये या अनुपूरक विधायी और विनियामक प्रावधानों को संशोधित एवं प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं.

# भाग 2
# जवाबदेह मात्स्यिकी और सतत विकास

## 5. छोटे पैमाने पर मात्स्यिकी और संसाधन प्रबंधन में स्वामित्व का शासन

5.1 ये दिशानिर्देश वर्तमान और भावी पीढ़ियों के विकास और पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जलीय जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के जवाबदेह और सतत उपयोग की जरूरत को स्वीकार करते हैं. छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदायों को उनके संसाधनों के लिए सुनिश्चित स्वामित्व के अधिकार[2] की जरूरत होती है जो कि उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक कल्याण, उनकी आजीविका और उनके सतत विकास के लिए आधार को आकार देते हैं. दिशानिर्देश छोटे पैमाने के महिला एवं पुरूष मछुआरों एवं मछली मजदूरों को पुरस्कृत करते हुए, मात्स्यिकी और इकोसिस्टम के जवाबदेह प्रबंधन से हासिल होने वाले लाभों के समान वितरण का समर्थन करते हैं.

## 5क. स्वामित्व का जवाबदेह शासन

5.2 सभी पक्षों को स्वीकार करना चाहिए कि छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में लागू होने वाले भूमि, मात्स्यिकी एवं वनों के स्वामित्व का जवाबदेह शासन मानवाधिकार, खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, टिकाऊ आजीविका, सामाजिक स्थिरता, आवास सुरक्षा, आर्थिक विकास और ग्रामीण एवं सामाजिक विकास हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है.

5.3 राज्यों को चाहिए कि वे अपने कानून के अनुसार, छोटे पैमाने के मछुआरों, मछली मजूदरों एवं उनके समुदायों के लिए मात्स्यिकी संसाधनों (समुद्री एवं अंतर्देशीय) एवं छोटे पैमाने के मछली पकड़ने के इलाकों एवं आस पास के इलाकों के लिए सुरक्षित न्यायसंगत, और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित करें, जिसमें स्वामित्व के अधिकार के संदर्भ में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए.

5.4 राज्यों को, अपने कानून के अनुसार, एवं अन्य पक्षों को चाहिए कि समस्त प्रकार के वैध स्वामित्व के अधिकार को स्वीकार, सम्मान एवं सुरक्षित करें, जहां उपयुक्त हो छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों द्वारा उपयोग किये जाने वाले जलीय संसाधन, भूमि एवं छोटे पैमाने के मात्स्यिकी क्षेत्र को ध्यान में रखा जाए. विभिन्न प्रकार के वैध स्वामित्व के अधिकार की रक्षा करने के क्रम में, जब जरूरी हो तो इस प्रभाव के लिए कानून प्रदान की जानी चाहिए. राज्यों को वैध स्वामित्व धारकों एवं उनके अधिकारों की पहचान, रिकार्ड एवं सम्मान के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए. स्थानीय मानदंडों एवं परंपराओं के साथ साथ आदिवासी एवं जातीय अल्पसंख्यकों सहित छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों द्वारा मछली संसाधनों एवं भूमि के पारंपरिक या अन्य तरजीही उपयोग को ऐसे तरीकों से स्वीकार, सम्मान एवं सुरक्षित किया जाना चाहिए जो कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के संगत हों. जहां उपयुक्त हो यूएनडीआरआईपी एवं राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित लोगों के अधिकारों पर घोषणा को ध्यान में लिया जाना चाहिए. जहां संवैधानिक या कानूनी सुधार महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करते हैं और उन्हें प्रथाओं के साथ विवाद में पेश करते हैं, वहां सभी पक्षों को प्रथागत स्वामित्व प्रणाली में ऐसे बदलावों को समायोजित करने में सहयोग करना चाहिए.

5.5 राज्यों को स्थानीय जलीय एवं तटीय इकोसिस्टम को कायम, संरक्षित, सुरक्षित एवं सहप्रबंधन करने के लिए छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों एवं आदिवासी लोगों की भूमिका को स्वीकार करनी चाहिए.

5.6 जहां जल एवं भू-संसाधनों पर राज्यों का स्वामित्व होता है, वहां उन्हें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को ध्यान रखने के साथ साथ, इन संसाधनों के स्वामित्व अधिकार के उपयोग को निर्धारित करना चाहिए. जहां लागू हो वहां, राज्यों को

2. 'स्वामित्व के अधिकार' शब्दावली का उपयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भूमि, मात्स्यिकी और वनों के स्वामित्व के जवाबदेह संचालन पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश के अनुसार किया जाता है.

खासकर छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से उपयोग एवं प्रबंधित किये जाने वाले सार्वजनिक मालिकाना वाले संसाधनों को स्वीकार एवं सुरक्षा प्रदान करना चाहिए.

5.7 संहिता के अनुच्छेद 6.18 पर ध्यान देते हुए, जहां उपयुक्त हो, राज्यों को खासकर कमजोर समूहों सहित विभिन्न समूहों के लोगों को समान परिणाम हासिल करने के विचार से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र वाले जल के अंतर्गत छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने को तरजीही पहुंच प्रदान करना चाहिए. जहां उपयुक्त हो, छोटे पैमाने की मात्सियकी के लिए विशेष क्षेत्र तैयार करने एवं लागू करने के साथ साथ विशेष उपायों पर विचार करना चाहिए. तीसरे देश या तीसरे पक्ष के साथ संसाधानों के उपयोग पर समझौता से छोटे पैमाने की मात्स्यिकी पर यथोचित विचार किया जाना चाहिए.

5.8 जहां उपयुक्त हो, राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भूमि, मात्स्यिकी और वनों के स्वामित्व के जवाबदेह शासन पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, पुनर्वितरण सुधार सहित छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों को मछली संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग प्रदान करने के उपाय अपनाने चाहिए.

5.9 राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों को मनमाने ढंग से बेदखल न किया जाए, और यह कि उनके वैध स्वामित्व के अधिकारों का उल्लंघन या उन्हें समाप्त न किया जाए. राज्यों को यह स्वीकार करना चाहिए कि छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में ही अन्य उपयोगकर्ताओं से प्रतियोगिता बढ़ रही है और यह कि छोटे पैमाने के मछुआरा समुदाय, खासकर कमजोर एवं उपेक्षित समूह, अन्य क्षेत्रों के साथ संघर्ष में सबसे कमजोर पक्ष होते हैं और यदि उनकी आजीविका को अन्य क्षेत्रों की विकास गतिविधियों से खतरा पैदा होता है तो उन्हें विशेष मदद की जरूरत हो सकती है.

5.10 छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों को प्रभावित कर सकने वाले बड़े स्तर की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पहले, राज्यों एवं अन्य पक्षों को चाहिए कि प्रभाव अध्ययनों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करें, और इन समुदायों के साथ राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार प्रभावी एवं सार्थक सुनवाई आयोजित करें.

5.11 राज्यों को कमजोर एवं उपेक्षित समूहों सहित छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों को निष्पक्ष और सक्षम न्यायिक और प्रशासनिक निकायों के माध्यम से राष्ट्रीय कानून के अनुसार स्वामित्व के अधिकार के विवाद को हल करने के समयबद्ध, किफायती और प्रभावी साधन प्रदान करना चाहिए, जिसमें ऐसे विवादों को हल करने के वैकल्पिक साधन हों, और जैसा उपयुक्त हो, अपील की पात्रता सहित प्रभावी उपचार प्रदान करना चाहिए. ऐसे उपचारों को राष्ट्रीय कानून के अनुसार तेजी से लागू किया जाना चाहिए और जिसमें बहाली, क्षतिपूर्ति, न्यायसंगत मुआवजा और हर्जाना शामिल हो सकते हैं.

5.12 राज्यों को मछली संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक आपदाओं और/या हथियारबंद टकराव से विस्थापित छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों के लिए पारंपरिक मछली पकड़ने के आधार और तटीय भूमि के उपयोग को बहाल करने के लिए प्रयास करने चाहिए. राज्यों को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों से प्रभावित मछुआरा समुदायों के जीवन एवं आजीविका के पुनर्निमाण के लिए मदद करने के उपाय तय करने चाहिए. ऐसे कदमों में प्राकृतिक आपदाओं एवं/या हथियारबंद टकराव के मामले में स्वामित्व के व्यवहार में महिलाओं के खिलाफ समस्त प्रकार के भेदभाव उन्मूलन को शामिल करना चाहिए.

## 5ख. सतत संसाधन प्रबंधन

5.13 राज्यों एवं मात्स्यिकी प्रबंधन में संलग्न सभी लोगों को लंबी अवधि के संरक्षण और मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग और खाद्य उत्पादन के लिए पारिस्थितिक आधार को सुरक्षित करने के लिए उपाय अपनाने चाहिए. उन्हें छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की जरूरतों एवं अवसरों को उचित मान्यता देने वाले

संहिता सहित, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कानून एवं स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत उनकी मौजूदा दायित्वों के अनुरूप उपयुक्त प्रबंधन प्रणाली को प्रोत्साहित एवं क्रियान्वित करना चाहिए.

5.14 सभी पक्षों को पहचान करनी चाहिए कि अधिकार और जिम्मेदारियां एक साथ आती हैं; स्वामित्व के अधिकार फर्ज से संतुलित होते हैं, एवं संसाधनों के दीर्घकालिक संरक्षण और सतत उपयोग और खाद्य उत्पादन के लिए पारिस्थितिक आधार के रखरखाव को समर्थन करते हैं. छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में मछली पकड़ने की ऐसी परंपरा अपनानी चाहिए जो जलीय वातावरण एवं उनसे जुड़ी प्रजातियों के नुकसान को कम करें और संसाधनों की स्थिरता के लिए मदद करें.

5.15 राज्यों को छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों को संसाधनों के वैध स्वामित्व के अधिकार एवं प्रणालियों पर विचार करते हुए, प्रबंधन में भागीदारी करने एवं जिम्मेदारी लेने के लिए मदद, प्रशिक्षण एवं समर्थन प्रदान करना चहिए जिस पर वे अपनी भलाई के लिए निर्भर होते हैं और जो उनकी आजीविका के लिए पारंपरिक रूप से उपयोग होता है. इसके अनुसार, राज्यों को छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों – महिलाओं, कमजोर एवं उपेक्षित समूहों के न्यायसंगत भागीदारी पर विशेष ध्यान देते हुए - को उनकी आजीविका विकल्पों को प्रभावित करने वाले संरक्षित इलाकों सहित, प्रबंधन उपायों के डिजाइन, नियोजन और क्रियान्वयन में शामिल करना चाहिए. सह प्रबंधन जैसे भागीदारीपूर्ण प्रबंधन प्रणालियों को राष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

5.16 राज्यों को निगरानी, नियंत्रण और निरीक्षण (एमसीएस) प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए या छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के लिए लागू करने के लिए और उपयुक्त मौजूदा इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए. उन्हें छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में भूमिका निभाने वाले उपयुक्त पक्षों को शामिल करते हुए और सह-प्रबंधन के संदर्भ में भागीदारीपूर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए ऐसी प्रणालियों को मदद करनी चाहिए. राज्यों को समुद्री एवं अंतर्देशीय इकोसिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले समस्त प्रकार के अवैध एवं/या विनाशकारी मछली पकड़ने की परंपराओं को रोकने एवं समाप्त करने के लिए प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए. राज्यों को मछली पकड़ने की गतिविधि के पंजीकरण में सुधार करने के लिए प्रयास करने चाहिए. छोटे पैमाने के मछुआरों को एमसीएस प्रणालियों का समर्थन करना चाहिए और गतिविधि के प्रबंधन के लिए आवश्यक जानकारी राज्य मछली अधिकारियों को प्रदान करना चाहिए.

5.17 राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सह-प्रबंधन व्यवस्था के संदर्भ में संबंधित पक्षों और हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां को स्पष्ट की जाएं और एक भागीदारी और कानूनी तौर पर समर्थित प्रक्रिया के माध्यम से सहमत हों. सभी पक्ष सहमत प्रबंधन भूमिकाओं को संभालने के लिए जिम्मेदार होते हैं. सभी प्रयास किये जाने चाहिए ताकि छोटे पैमाने की मात्स्यिकी का प्रासंगिक स्थांनीय एवं राष्ट्रीय पेशेवर संगठनों एवं मात्स्यिकी निकायों में प्रतिनिधित्व हो और वे प्रासंगिक निर्णय प्रक्रियाओं एवं मात्स्यिकी नीति निर्माण प्रक्रियाओं में सक्रियता से भाग लें.

5.18 सह प्रबंधन के संदर्भ में और जवाबदेह मात्स्यिकी को बढ़ावा देने में, महिलाओं एवं पुरूषों दोनों के विशेष ज्ञान, दृष्टिकोण और जरूरतों का योगदान करते हुए, चाहे वे मछली पकड़ने के पहले या उसके दौरान या उसके बाद के क्रियाकलापों में लगे हों, राज्यों एवं छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में भूमिका निभाने वालों को उनकी भूमिका एवं भागीदारी को प्रोत्साहित एवं समर्थन करना चाहिए. सभी पक्षों को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विशेष उपायों को डिजाइन करते हुए, महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

5.19 जहां सीमा पार या इसी तरह के अन्य मुददे मौजूद हों, जैसे कि जल का बंटवारा एवं मछली संसाधन, वहां राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए

एक साथ काम करना चाहिए कि छोटे पैमाने के मछुआरा समूदायों को जो पट्टे का अधिकार प्रदान किया जाता है उसकी सुरक्षा हो.

5.20 राज्यों को ऐसी नीतियों और वित्तीय उपायों से बचना चाहिए जिससे जरूरत से अधिक मछली का उत्पादन हो सकता हो और, इसलिए, संसाधनों के अति दोहन से छोटे पैमाने की मात्स्यिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है.

## 6. सामाजिक विकास, रोजगार और उपयुक्त काम

6.1 सभी पक्षों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के प्रबंधन एवं विकास में एकीकृत, इकोसिस्टम एवं समग्र दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए जो कि आजीविका की जटिलता को ध्यान में रखे. यह सुनिश्चित करने के लिए छोटे पैमाने के मछुआरा समुदाय सशक्त हों एवं अपने मानवाधिकार का उपयोग कर सकें, उनके समाजिक एवं आर्थिक विकास पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है.

6.2 राज्यों को स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, डिजिटल समावेश एवं तकनीकी स्वभाव के अन्य कौशल जैसे मानव संसाधन विकास में निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि मात्स्यिकी संसाधनों में अधिक मूल्य उत्पन्न करे एवं जागरूकता बढ़ाए. राज्यों को राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय कार्यों के माध्यम से छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों के सदस्यों को समुचित आवास, सुरक्षित एवं स्वच्छ बुनियादी स्वच्छता, व्यक्तिगत एवं घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित पेयजल, एवं ऊर्जा के स्रोतों सहित इन एवं अन्य आवश्यवक सेवाओं तक किफायती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रगतिशील विचार से कदम उठाने चाहिए. सेवाओं को प्रदान करने एवं गैर-भेदभाव एवं अन्य मानवाधिकारों को प्रभावी करने में, महिलाओं, आदिवासी लोगों, एवं कमजोर व उपेक्षित समूहों के साथ वरीयतापूर्ण उपचार को जहां भी न्यायसंगत लाभ सुनिश्चित करने की जरूरत हो वहां स्वीकार एवं प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

6.3 राज्यों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए. उन्हें छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के स्वभाव को ध्यान में रखना चाहिए और पूरी मूल्य श्रृंखला की सुरक्षा योजनाओं के लिए लागू करना चाहिए.

6.4 छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों के लिए उपयुक्त अन्य सेवाओं के विकास एवं पहुंच के लिए मदद करना चाहिए, जैसे कि बचत, ऋण, बीमा योजनाएं, और ऐसी सेवाओं तक महिलाओ की पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देना चाहिए.

6.5 राज्यों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की मूल्य श्रृंखला सहित समस्त क्रियाकलापों को – मछली पकड़ने से पहले एवं बाद दोनों में; चाहे जलीय वातावरण में हो या जमीन पर; महिलाओं या पुरूष जिनके द्वारा भी किया जाए - आर्थिक एवं पेशेवर क्रियाकलापों के तौर पर मान्यता देनी चाहिए. सभी क्रियाकलापों को अंशकालिक, सामयिक और/या निर्वाह के लिए के तौर विचार किया जाना चाहिए. छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में खासकर मछली पकड़ने के बाद वाले मजूदरों के अधिक कमजोर समूहों के लिए पेशेवर एवं सांगठनिक विकास के अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए.

6.6 राज्यों को औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों दोनों में सहित, छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले मजदूरों के लिए उपयुक्त काम को बढ़ावा देना चाहिए. छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए कि राष्ट्रीय कानून के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्र के क्रियाकलापों को ध्यान में लिया जाए.

6.7 राज्यों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार जीने एवं काम करने के समुचित मानक के लिए छोटे पैमाने के मछुआरों एवं मछली मजदूरों के अधिकार के प्रगतिशील अहसास के नजरिए से कदम उठाना चाहिए. राज्यों को छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों के सतत विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए. छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों एवं अन्य खाद्य उत्पादकों, खासकर महिलाओं, को अपने श्रम, पूंजी एवं प्रबंधन से एक

उचित प्रतिफल अर्जित करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करने की अनुमति देने के लिए राज्यों को समुद्री, मीठे पानी और भूमि क्षेत्रों के उपयोग के लिए समावेशी, भेदभाव रहित एवं मजबूत आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाना चाहिए.

6.8 राज्यों एवं अन्य हितधारकों को छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों के लिए संसाधनों के स्थायी उपयोग एवं आजीविका के विविधीकरण के जरूरत के अनुसार पहले से मौजूद, या अनुपूरक एवं वैकल्पिक आय उत्पादन के अवसरों – मछली पकड़ने के क्रियाकलापों के आय के अलावा - को समर्थन करना चाहिए. स्थानीय अर्थव्यवस्था में छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की भूमिका एवं इस उपक्षेत्र के व्यापक अर्थव्यवस्था के साथ संबंध को मान्यता देने एवं उससे लाभ लिए जाने की जरूरत है. छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों को समुदाय आधारित पर्यटन एवं छोटे पैमाने के जवाबदेह एक्वाकल्चर के विकास से समान रूप से लाभान्वित किया जाना चाहिए.

6.9 सभी पक्षों को छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों की महिलाओं एवं पुरूषों के लिए मात्स्यिकी एवं उससे संबंधित गतिविधियों के लिए अपराध, हिंसा, संगठित अपराध की गतिविधियों, समुद्री डकैती, चोरी, यौन शोषण, भ्रष्टाचार और शोषण से मुक्त माहौल तैयार करना चाहिए. सभी पक्षों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में हिंसा समाप्त करने एवं ऐसे हिंसा से प्रभावित होने वाली महिलाओं की सुरक्षा करने के उपाय तय करने के लिए कदम उठाने चाहिए. राज्यों को अन्य बातों के अलावा, परिवार या समुदाय के अंदर सहित हिंसा एवं दुर्व्यवहार से पीड़ितो को न्याय उपलब्ध करना सुनिश्चित करना चाहिए.

6.10 यह देखते हुए कि छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में अप्रवास एक आम रणनीति है, राज्यों एवं पारंपरिक व प्रथागत प्राधिकारों सहित छोटे पैमाने की मात्स्यिकी से जुड़े पक्षों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में प्रवास की भूमिका को समझना, स्वीकार करना एवं सम्मान करना चाहिए. राज्यों एवं छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में भूमिका निभाने वालों को प्रवासियों के उचित एवं समुचित एकीकरण की अनुमति देने हेतु उपयुक्त ढांचा तैयार करने में सहयोग करना चाहिए जो कि मात्स्यिकी संसाधनों के सतत उपयोग में लगे हों और जो राष्ट्रीय कानून के अनुसार छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में स्थानीय समुदाय आधारित मात्स्यिकी शासन एवं विकास को कमजोर नहीं करते हों. राज्यों को सीमा पार छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में मछुआरों एवं मछली मजदूरों के प्रवास के मामले में अपने संबंधित राष्ट्रीय सरकारों के बीच सहयोग के महत्व को स्वीकार करना चाहिए. नीति एवं प्रबंधन उपायों का निर्धारण छोटे पैमाने के मछली पकड़ने वाले संगठनों एवं संस्थानों के साथ परामर्श करके किया जाना चाहिए.

6.11 राज्यों को मछुआरों के सीमा पार आवागमन के मूल कारणों एवं परिणामों की पहचान एवं उन्हें संबोधित करना चाहिए और छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की स्थिरता को प्रभावित करने वाले सीमा पार के मुद्दों को समझने में योगदान देना चाहिए.

6.12 राज्यों को आवश्यक कानून सुनिश्चित करते हुए मछुआरों के पेशेवर स्वास्थ्य एवं काम की अनुचित परिस्थितियों को संबोधित करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कानून एवं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों और अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के अनुसार किया जाता हो जिसका राज्य एक करार पक्ष हो, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध (आईसीईएससीआर) एवं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के प्रासंगिक समझौते. सभी पक्षों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि पेशेवर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मात्स्यिकी प्रबंधन एवं विकास की पहल का एक अभिन्न हिस्सा है.

6.13 राज्यों को छोटे पैमाने मात्स्यिकी सहित, मात्स्यिकी में बंधुआ मजदूरी के पूर्ण उन्मूलन के विचार के साथ, बेगारी समाप्त करना चाहिए, महिलाओं पुरूषों एवं बच्चों के ऋण-बंधन को रोकना चाहिए और प्रवासियों सहित मछुआरों एवं मछली मजदूरों की रक्षा के लिए प्रभावी उपाय अपनाने चाहिए.

6.14 राज्यों को छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों की जरूरतों को पूरा करने वाले ऐसे स्कूल एवं शिक्षण सुविधाएं प्रदान करना और उपलब्ध कराना चाहिए और जो सभी लड़के व लड़कियों एवं युवाओं व महिलाओं को बराबर अवसर प्रदान करते हुए एवं युवाओं के कैरियर विकल्पों का सम्मान करते हुए उन्हें लाभकारी और उपयुक्त रोजगार की सुविधा प्रदान करे.

6.15 छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में भूमिका निभाने वालों को स्वयं बच्चों एवं बड़े पैमाने पर समाज के भविष्य के लिए बच्चों की भलाई एवं शिक्षा के महत्व की पहचान करनी चाहिए. बच्चों को स्कूल जाना, उन्हें सभी दुर्व्यवहारों से सुरक्षा किया जाना एवं बच्चों के अधिकार पर अनुबंध के अनुसार उनके सभी अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए.

6.16 सभी पक्षों को समुद्र में सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ी जटिलता (अंतर्देशीय एवं समुद्री मात्स्यिकी) एवं सुरक्षा में कमी के पीछे विभिन्न कारणों की पहचान करनी चाहिए. यह समस्त मात्स्यिकी क्रियाकलापों पर लागू होता है. राज्यों को उपयुक्त राष्ट्रीय कानूनों और अधिनियमों के विकास, अधिनियमन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए जो कि छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में मछली पकड़ने के काम एवं समुद्री सुरक्षा के लिए एफएओ, आईएलओ एवं अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) के अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार हो[3].

6.17 राज्यों को यह पहचान करनी चाहिए कि छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में (अंतर्देशीय और समुद्री) मछुआरों की खुद की सक्रिय भागीदारी एवं, जब उपयुक्त हो, क्षेत्रीय सहयोग के तत्वों के साथ, सुसंगत और एकीकृत राष्ट्रीय रणनीतियों के विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से बेहतर समुद्री सुरक्षा हासिल किया जाएगा. इसके अलावा, मछली पकड़ने के सामान्य प्रबंधन में छोटे पैमाने के मछुआरों की समुद्री सुरक्षा को भी जोड़ा जाना चाहिए. अन्य बातों के अलावा, राज्यों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में राष्ट्रीय दुर्घटना रिपोर्टिंग के रखरखाव, समुद्री सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के प्रावधान एवं समुद्री सुरक्षा के लिए उपयुक्त कानून पेश करने में सहयोग प्रदान करना चाहिए. इस प्रक्रिया में, अनुपालन बढ़ाने, डेटा संग्रह, प्रशिक्षण और जागरूकता, एवं खोज और बचाव कार्य के लिए मौजूदा संस्थानों एवं समुदाय आधारित ढांचों की भूमिका को स्वीकार किया जाना चाहिए. राज्यों को मछली पकड़ने की छोटी नौकाओं के समुद्र में बचाव के लिए जानकारी एवं आपातकालीन स्थिति प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए.

6.18 हथियारबंद संघर्ष की स्थिति में, अनुच्छेद 25[4] सहित, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, भूमि, मात्स्यिकी एवं वनों के स्वामित्व के जवाबदेह शासन के लिए स्वैच्छिक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के हितधारकों की पारंपरिक आजीविका को आगे बढ़ाने की अनुमति देने, उन्हें प्रथागत मछली पकड़ने के आधार का उपयोग करने, एवं अपनी संस्कृति एवं जीवन शैली को सुरक्षित रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार, सभी पक्षों को उनके मानवाधिकार एवं गरिमा की सुरक्षा करनी चाहिए. उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों पर निर्णय लेने में उनकी प्रभावी भागीदारी के लिए मदद की जानी चाहिए.

## 7. मूल्य श्रृंखला, उत्पादन के बाद और व्यापार

7.1 सभी पक्षों को उस केन्द्रीय भूमिका की पहचान करनी चाहिए जिसे पूरी मूल्य श्रृंखला में छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने के बाद के उपक्षेत्र एवं उसमें कार्य करने वालों द्वारा निभाया जाता है. मूल्य श्रृंखला में भूमिका निभाने वालों के बीच कई बार असमान शक्ति संबंध होता है और यह कि कमजोर एवं उपेक्षित समूहों को विशेष मदद की जरूरत हो सकती है, सभी पक्षों को

3. अन्य बातों के अलावा, इनमें मछुआरों एवं मछली पकड़ने की नौकाओं के लिए सुरक्षा संहिता 1968 (संशोधित), छोटे मात्स्यिकी नौकाओं के डिजाइन, निर्माण एवं उपकरण के लिए एफएओ/आईएलओ/आईएमओ स्वैच्छिक दिशानिर्देश, एवं 12 मीटर से छोटे सुसज्जित मात्स्यिकी नौकाओं और गैर-सुसज्जित मात्स्यिकी नौकाओं के लिए 2010 सुरक्षा सिफारिश शामिल हैं

4. अनुच्छेद 25 भूमि, मात्स्यिकी एवं वन के स्वामित्व के संबंध में विवाद के लिए अधिकृत है.

यह पहचान करते हुए सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादन के बाद भूमिका निभाने वाले प्रासंगिक निर्णय प्रक्रियाओं के हिस्सा बने.

7.2 सभी पक्षों को उत्पादन के बाद के उपक्षेत्र में महिलाओं द्वारा अक्सर निभाई जाने वाली भूमिका को स्वीकार करना चाहिए एवं ऐसे काम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मदद करनी चाहिए. राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादन के बाद के उपक्षेत्र में अपनी आजीविका को कायम रखने एवं बढ़ाने के लिए महिलाओं को सक्षम करने के क्रम में, जरूरत के अनुसार, महिलाओं के लिए उपयुक्त सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध हों.

7.3 निर्यात एवं घरेलू बाजार दोनों के लिए, जवाबदेह एवं टिकाऊ तरीके से, अच्छी गुणवत्ता वाले एवं सुरक्षित मछली एवं मछली उत्पादों के उत्पादन में छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में उत्पादन के बाद के उपक्षेत्र को सहयोग के लिए उपयुक्त ढांचों, सांगठनिक ढांचों एवं क्षमता विकास में निवेशों को बढ़ावा देना, प्रदान करना एवं सक्षम करना चाहिए.

7.4 राज्य और विकास भागीदारों को मछुआरों और मछली मजदूरों के संघों के परंपरागत स्वरूपों को मान्यता देनी चाहिए और राष्ट्रीय कानून के अनुसार उनकी आय और आजीविका की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों में उनके समुचित संगठनात्मक और क्षमता विकास को बढ़ावा देना चाहिए. तदनुसार, छोटे पैमाने की मात्स्यिकी क्षेत्र के कोऑपरेटिव, पेशेवर संगठनों एवं अन्य सांगठानिक ढांचों के साथ साथ विपणन तंत्र की स्थापना एवं विकास के लिए मदद करनी चाहिए, जैसे कि नीलामी.

7.5 सभी पक्षों को मौजूदा पारंपरिक और स्थानीय लागत कुशल तकनीकों, स्थानीय नवाचारों और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी निर्माण करते हुए, उत्पाद के बाद के हानि और अपशिष्ट से बचने और मूल्य संवर्द्धन के तरीकों की तलाश करनी चाहिए. छोटे पैमाने पर मछली हैंडलिंग और प्रसंस्करण में आदानों (पानी, जलाऊ लकड़ी आदि) की बर्बादी से बचते हुए इकोसिस्टम दृष्टिकोण के अंतर्गत स्थायी पर्यावरणीय प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

7.6 राज्यों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी उत्पादों के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने में मदद और समान एवं भेदभाव रहित व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहिए. राज्यों को व्यापार नियमों और प्रक्रियाओं को पेश करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जो कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अंतर्गत समझौतों को ध्यान में रखते हुए, जहां उपयुक्त हो डब्ल्यूटीओ सदस्यों के अधिकारों एवं जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए खासकर छोटे पैमाने की मात्स्यिकी से उत्पादों में क्षेत्रीय व्यापार में मदद करे.

7.7 राज्यों को मछली और मछली उत्पादों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रभावों के लिए और स्थानीय छोटे पैमाने के मछुआरों, मछली मजदूरों एवं उनके समुदायों पर ऊपर से नीचे एकीकरण पर उचित ध्यान देना चाहिए. राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मछली व्यापार एवं निर्यात उत्पादन उन लोगों के पोषण की जरूरतों पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले जिनके लिए मछली पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है और जिनके लिए भोजन के अन्य तुलनीय माध्यम आसानी से उपलब्ध नहीं होते या किफायती नहीं हैं.

7.8 राज्यों, छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में भूमिका निभाने वालों एवं मूल्य श्रृंखला के अन्य पक्षों को यह पहचान करनी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से होने वालों लाभों का उचित बंटवारा हो. राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार की मांग से प्रेरित अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए प्रभावी मात्स्यिकी प्रबंधन प्रणालियां लागू हों जो कि मछली संसाधनों, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं. ऐसी मात्स्यिकी प्रबंधन प्रणालियों में छोटे पैमाने के मछुआरों एवं अन्य लोगों को पूरी मूल्य श्रृंखला में समान तरीके से निर्यात आय के लाभों के लिए सक्षम करने के लिए उत्पादन के बाद की जवाबदेह परंपराओं, नीतियों एवं कार्यों को शामिल करना चाहिए.

7.9 राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और अन्य प्रासंगिक आकलनों सहित नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए कि पर्यावरण, छोटे पैमाने पर मात्स्यिकी संस्कृति, आजीविका और खाद्य सुरक्षा से संबंधित विशेष जरूरतों पर होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार के द्वारा प्रतिकूल प्रभावों को न्यायसंगत रूप से संबोधित किया जाए. संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करना इन नीतियों एवं प्रक्रियाओं का हिस्सा होना चाहिए.

7.10 राज्यों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के लिए सभी प्रासंगिक बाजार और व्यापार के लिए जानकारी के उपयोग को सक्षम करना चाहिए.

छोटे पैमाने की मात्स्यिकी हितधारकों को बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में मदद के लिए समयबद्ध एवं सटीक जानकारी उपलब्ध करने में सक्षम किया जाना चाहिए. उनका क्षमता विकास भी जरूरी है ताकि छोटे पैमाने के मात्स्यिकी हितधारक एवं खासकर महिलाएं एवं कमजोर एवं उपेक्षित समूह किसी संभावित नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करते हुए वैश्विक बाजार प्रवृत्तियों एवं स्थानीय स्थितियों के अवसरों से अनुकूल हो सकें एवं उससे समान रूप से लाभ उठा सकें.

## 8. लैंगिक समानता

8.1 सभी पक्षों को यह पहचान करनी चाहिए कि लैंगिक समानता हासिल करने के लिए सभी के ठोस प्रयास की आवश्यकता है और लैंगिक मुख्य धारा छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के सभी विकास रणनीतियों का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए. लैंगिक समानता हासिल करने के लिए इन रणनीतियों को विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में विभिन्न दृष्टिकोणों की जरूरत होती है और इन्हें महिलाओं के खिलाफ भेदभावकारी प्रथाओं को चुनौती देनी चाहिए.

8.2 राज्यों को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत, अन्य बातों के साथ, सीईडीएडब्ल्यू सहित अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए जिसके वे पक्ष हैं और बीजिंग घोषणा एवं प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को ध्यान में रखना चाहिए. राज्यों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की दिशा में निर्देशित की जाने वाली नीतियों की निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए. राज्यों को, नागरिक समाज संगठनों के लिए अवसर तैयार करते समय, उनकी निगरानी एवं क्रियान्वयन में भागीदारी के लिए, खासकर महिला मछुआरों एवं उनके संगठनों के लिए महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को हल करने के विशेष उपाय अपनाने चहिए. महिलाओं को मात्स्यिकी संगठनों में भागीदारीके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, एवं प्रासंगिक सांगठनिक विकास सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए.

8.3 राज्यों को लैंगिक समानता हासिल करने के लिए नीतियां एवं अधिनियम स्थापित करना चाहिए, जब उचित हो, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उन अधिनियमों, नीतियों एवं उपायों को अनुकूल करना चाहिए जो कि लैंगिक समानता के संगत न हों. लैंगिक समानता हासिल करने के लिए कार्यों को लागू करने की शुरूआत में, अन्य बातों के साथ, राज्यों को महिलाओं एवं पुरूषों दोनों को विस्तार सदस्यों के तौर पर भरती करते हुए और सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरूषों एवं महिलाओं दोनों की मात्स्यिकी से संबंधित कानूनी मदद सहित, विस्तार एवं तकनीकी सेवाओं तक समान पहुंच हो. महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं लैंगिक समानता हासिल करने के लिए कानून, नीतियां एवं कार्य के प्रभाव आंकलन के लिए कार्यात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने के लिए सभी पक्षों को सहयोग करना चाहिए.

8.4 सभी पक्षों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के काम में महिलाओं के लिए उपयुक्त एवं महत्व के बेहतर तकनीको के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए.

## 9. आपदा जोखिम और जलवायु परिवर्तन

9.1 राज्यों यह पहचान करनी चाहिए कि सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (रियो+20) के

परिणाम दस्तावेज 'द फ्यूचर वी वांट' को ध्यान में रखते हुए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अनुबंध के उद्देश्यों, सिद्धांतों एवं प्रावधानों के अनुसार, सतत छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के संदर्भ सहित, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए तत्काल और महत्वाकांक्षी कार्रवाई की आवश्यकता है.

9.2 सभी पक्षों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी पर प्राकृतिक एवं मानव प्रेरित आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के अंतरीय प्रभाव को ध्यावन में रखना चाहिए. राज्यों को मात्स्यिकी में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए, खासकर अनुकूलन और शमन के लिए रणनीतियों में, जहां लागू हो, एवं लचीलेपन निर्माण में कमजोर एवं उपेक्षित समूहों पर खास ध्यान देते हुए, आदिवासी लोगों एवं पुरूषों एवं महिलाओं सहित मछुआरा समुदायों के साथ पूर्ण एवं प्रभावी परामर्श से नीतियां एवं योजनाएं विकसित करनी चाहिए. छोटे द्वीपों, जहां खाद्य सुरक्षा, पोषण, आवास एवं आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के खास निहितार्थ हो सकते हैं, में रहने वाले छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों को विशेष मदद दी जानी चाहिए.

9.3 सभी पक्षों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में आपदा जोखिम और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्रम में, पार-क्षेत्रीय सहयोग सहित, एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण, की जरूरत की पहचान करनी चाहिए. राज्यों और अन्य संबंधित पक्षों को मानव प्रेरित गैर मात्स्यिकी कारकों की वजह से प्रदूषण, तटीय कटाव और तटीय आवासों के विनाश जैसे मुद्दों के समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए. ऐसी चिंताएं मछुआरा समुदायों की आजीविकाओं एवं जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों को अनुकूल करने की उनकी क्षमता को कमजोर करती हैं.

9.4 राज्यों को जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक और मानव प्रेरित आपदाओं से प्रभावित छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों को, जहां उपयुक्त हो, अनुकूलन, शमन और सहायता योजना सहित, सहायता और मदद करने पर विचार करना चाहिए.

9.5 छोटे पैमाने की मात्स्यिकी को प्रभावित करने वाले आपदा यदि मनुष्यों की वजह से होते हैं तो, जिम्मोदार पक्ष को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.

9.6 सभी पक्षों को मछली की प्रजातियों और मात्रा, मछली गुणवत्ता और अनुमानित जीवन में बदलाव के रूप में उत्पादन के पश्चात एवं व्यापार उपक्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन एवं आपदाओं के हो सकने वाले प्रभावों, एवं बाजार में दुकानों के संबंध में निहितार्थों को ध्यान में रखना चाहिए. राज्यों को नकारात्महक प्रभावों को कम करने के क्रम में समायोजन उपायों के मामले में छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के हितधारकों को मदद करनी चाहिए. जब नये तकनीक पेश किये जाते हैं तो उन्हें प्रजातियों, उत्पादों एवं बाजारों, एवं जलवायु परिवर्तनशीलता में भावी बदलावों के लिए लचीला और अनुकूली होने की जरूरत है.

9.7 राज्यों को समझना चाहिए कि आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा तैयारियां किस तरह छोटे पैमाने की मात्स्यिकी से संबंधित है, और राहत-विकास की निरंतरता की अवधारणा को लागू करना चाहिए. तत्काल राहत के चरणों में सहित, पूरे आपातकालीन अनुक्रम में दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों पर विचार करना चाहिए और पुनर्वास, पुनर्निमाण एवं रिकवरी में संभावित भावी खतरों की कमजोरियों को कम करने की कार्रवाई को शामिल करना चाहिए. 'पहले से बेहतर निर्माण' की अवधारणा को आपदा प्रतिक्रिया एवं पुनर्वास में लागू करना चाहिए.

9.8 सभी पक्षों को जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रयासों में छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए, और पूरी मूल्य श्रृंखला सहित उपक्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित एवं समर्थन करना चाहिए, जैसे कि मात्स्यिकी, उत्पांदन के पश्चात, विपणन एवं वितरण में.

9.9 राज्यों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी समुदायों को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए, जैसा उपयुक्त हो, अनुकूलन कोषों, सुविधाओं एवं/या सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तकनीकों तक पारदर्शी पहुंच उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए.

# भाग 3
# एक अनुकूल माहौल सहयोगी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

## 10 नीति सांमजस्यता, संस्थागत समन्वय और सहयोग

10.1 राज्यों को, अन्यें बातों के साथ, राष्ट्रीय कानूनों; अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों; आदिवासी लोगों से संबंधित सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणों; आर्थिक विकास की नीतियों; ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण नीतियों; पर्यावरण संरक्षण; खाद्य सुरक्षा और पोषण नीतियों; श्रम और रोजगार नीतियों; व्यापार नीतियों; आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन (सीसीए) की नीतियों; मात्स्यिकी उपयोग प्रबंधन; एवं छोटे पैमाने की मात्स्यिकी समुदायों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के क्रम में मात्स्यिकी क्षेत्र की अन्य नीतियों, योजनाओं, कार्यों एवं निवेशों के संबंध में नीति सामंजस्यता की जरूरत की पहचान करना और उसके लिए काम करना चाहिए. लैंगिक समता और समानता सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए.

10.2 राज्यों को, जैसा उपयुक्त हो, अंतर्देशीय और समुद्री स्थानिक योजना सहित, स्थानिक योजना दृष्टिकोण का विकास एवं उपयोग करना चाहिए, जो कि समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन में छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के हितों एवं भूमिकाओं पर उचित ध्यान दे. जैसा उपयुक्त हो, विनियमित स्थानिक योजना पर लैंगिक संवेदनशील नीतियों एवं कानूनों को परामर्श, भागीदारी एवं प्रचार के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए. जहां उपयुक्त हो, औपचारिक नियोजन प्रणलियों में छोटे पैमाने की मात्स्यिकी एवं पारंपरिक स्वामित्व व्यवस्था वाले अन्य समुदायों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले नियोजन एवं क्षेत्रीय विकास के तरीकों, एवं उन समुदायों के अंतर्गत की जाने वाली निर्णय प्रक्रियाओं पर विचार करना चाहिए.

10.3 राज्यों को समुद्री और अंतर्देशीय जल निकायों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली नीतियों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट नीतिगत उपायों को अपनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मात्स्यिकी, कृषि और अन्य प्राकृतिक संसाधन की नीतियां सामूहिक रूप से इन क्षेत्रों से निकलने वाली आपस में जुड़ी आजीविकाओं को बढ़ाना सुनिश्चित करें.

10.4 राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मात्स्यिकी नीति सतत छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के लिए दीर्घकालिक दृष्टि प्रदान करे और इकोसिस्टम दृष्टिकोण इस्तेमाल करते हुए भूख और गरीबी का उन्मूलन करे. मात्स्यिकी के लिए समग्र नीति, कमजोर एवं उपेक्षित लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए, छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के लिए दीर्घकालिक दृष्टि और नीतिगत ढांचे के साथ सुसंगत होना चाहिए.

10.5 राज्यों को मात्स्यिकी क्षेत्र में नीति सामंजस्य, पार-क्षेत्रीय सहयोग और समग्र और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का कार्यान्वयन हासिल करने के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचों एवं कड़ियों – स्थानीय-राष्ट्रीय-क्षेत्रीय-वैश्विक कड़ियों एवं नेटवर्कों सहित - को स्थापित एवं प्रोत्साहित करना चाहिए. साथ ही, स्पष्ट जिम्मेदारियों की भी जरूरत है और छोटे पैमाने की मात्स्यिकी समुदायों के लिए सरकारी प्राधिकारों एवं एजेंसियों में ठीक से परिभाषित संपर्क बिंदु होने चाहिए.

10.6 छोटे पैमाने की मात्स्यिकी हितधारकों को मात्स्यिकी कोऑपरेटिव एवं सीएसओ सहित अपने पेशेवर संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए. उन्हें छोटे पैमाने की मात्स्यिकी समुदायों के लिए प्रासंगिक अनुभवों एवं जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एवं नीति एवं निर्णय प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी की सुविधा के लिए नेटवर्कों एवं मंचों की स्थापना करनी चाहिए

10.7 राज्यों को यह पहचान, एवं यदि उपयुक्त हो तो प्रोत्साहित, करनी चाहिए कि स्थानीय शासन के ढांचे इकोसिसटम दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एवं राष्ट्रीय कानून के अनुसार छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के प्रभावी प्रबंधन के लिए योगदान दे सकें.

10.8 राज्यों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में स्थायित्व सुनिश्चित करने में अधिक अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए. राज्यों एवं अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठनों को, यदि उपयुक्त हो तो, छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की समझ बढ़ाने के लिए क्षमता विकास में सहयोग करना चाहिए और उपक्षेत्र को ऐसे मामलों में सहायता करना चाहिए जिनमें उचित और परस्पर सहमत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत हो.

## 11 सूचना, अनुसंधान और संचार

11.1 राज्यों को पारदर्शी तरीके से मछली स्टॉक सहित पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के विचार से छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के स्थायी प्रबंधन पर निर्णय प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक जीव वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आंकड़ों सहित मछली डेटा इकट्ठा करने की प्रणालियां स्थापित करनी चाहिए. सरकारी आंकड़ों में अलग-अलग लैंगिक आंकड़े, साथ ही सामाजिक-आर्थिक पहलुओं सहित, छोटे पैमाने की मात्स्यिकी एवं इसके विभिन्न घटकों के महत्व की बेहतर समझ एवं दृश्यता की अनुमति देने वाले आंकड़े जुटाने की कोशिश की जानी चाहिए.

11.2 सभी हितधारकों और छोटे पैमाने की मात्स्यिकी समुदायों को संचार और सूचना के महत्व की पहचान करनी चाहिए, जो कि प्रभावी निर्णय लेने के लिए आवश्यक होते हैं.

11.3 राज्यों को विशेष रूप से, पारदर्शिता को बढ़ाने, निर्णयकर्ताओं को जवाबदेह ठहराते हुए, एवं यह सुनिश्चित करते हुए कि निष्पक्ष फैसले तुरंत पहुंचे और छोटे पैमाने की मात्स्यिकी समुदायों के साथ उचित भागीदारी एवं संचार के माध्यम से, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए.

11.4 सभी पक्षों को छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदायों की ज्ञान के धारक, प्रदाता और रिसीवर के रूप में पहचान करनी चाहिए. यह खासकर छोटे पैमाने की मात्स्यिकी समुदायों एवं उनके संगठनों को मौजूदा समस्याओं से निपटने एवं उन्हें अपनी आजीविकाओं में सुधार के लिए सशक्त करने के क्रम में उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराने की जरूरत को समझने के लिए महत्वपूर्ण है. ये जानकारी की जरूरतें समुदायों द्वारा सामाना की जाने वाली मौजूदा मुद्दों पर निर्भर होती हैं और मात्स्यिकी एवं आजीविकाओं के जीव वैज्ञानिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की चिंता करती हैं.

11.5 राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध, असूचित एवं अनियंत्रित (आईयूयू) मात्स्यिकी सहित जवाबदेह छोटे पैमाने की मात्स्यिकी एवं सतत विकास के लिए जरूरी जानकारी उपलब्ध हों. अन्य बातों के अलावा, इसे आपदा जोखिम, जलवायु परिवर्तन, आजीविका और कमजोर और उपेक्षित समूहों की स्थिति के लिए विशेष ध्यान के साथ खाद्य सुरक्षा से संबंधित होना चाहिए. कमजोर डेटा वाली स्थितियों के लिए कम डेटा आवश्यकताओं वाली सूचना प्रणालियों को विकसित करना चाहिए.

11.6 सभी पक्षों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आदिवासी लोगों सहित छोटे पैमाने की मात्स्यिकी समुदायों की ज्ञान, संस्कृति, परंपराओं, एवं प्रथाओं की पहचान की जाएं और, यदि उचित हो तो, समर्थन की जाएं, और यह कि वे जवाबदेह स्थानीय शासन एवं सतत विकास प्रक्रियाओं को सूचित करें. महिला मछुआरों एवं मछली मजदूरों के विशेष ज्ञान की पहचान एवं उसे समर्थन किया जाना चाहिए. राज्यों को स्थायी मात्स्यिकी संरक्षण, प्रबंधन एवं विकास के लिए पारंपरिक मात्स्यिकी ज्ञान एवं प्रौद्योगिकियों के उपयोग के आंकलन के क्रम में उनकी जांच एवं दस्तावेजीकरण करना चाहिए.

11.7 राज्यों एवं अन्य प्रासंगिक पक्षों को यदि उचित हो तो, जलीय सजीव संसाधनों एवं मात्स्यिकी तकनीकों के पारंपरिक ज्ञान के व्ययवस्थित, कायम, आदान-प्रदान एवं सुधार के लिए, और जलीय इकोसिस्टम पर ज्ञान के उन्नयन के लिए तकनीकी एवं वित्तीय सहायता

सहित, छोटे पैमाने की मात्स्यिकी समुदायों, खासकर आदिवासी लोगों, महिलाओं एवं निर्वाह के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर लोगों को सहयोग प्रदान करना चाहिए

11.8 सभी पक्षों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों के दो तरफा जानकारी प्रवाह सहित, समुदाय, राष्ट्रीय उप क्षेत्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर उपयुक्त मौजूदा मंचों और नेटवर्कों की स्थापना या प्रयोग के माध्यम से, जलीय सीमा पार संसाधनों पर सहित, जानकारी की उपलब्धता, प्रवाह और आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए. सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों को ध्यान में रखते हुए, छोटे पैमाने की मात्स्यिकी समुदायों के संचार एवं क्षमता विकास के लिए उचित दृष्टिकोण, उपकरण और मीडिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

11.9 राज्यों एवं अन्य पक्षों को यथा संभव सुनिश्चित करना चाहिए कि छोटे पैमाने की मात्स्यिकी अनुसंधान के लिए कोष उपलब्ध हों, एवं सहयोगी और भागीदारीपूर्ण डेटा संग्रह, विश्लेषण एवं शोध को प्रोत्साहित किया जाए. राज्यों एवं अन्य पक्षों को इस शोध ज्ञान को अपनी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए. शोध संगठनों एवं संस्थानों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी समुदायों को शोध एवं शोध के निष्कर्षों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए क्षमता विकास को समर्थन करना चाहिए. डीआरएम एवं सीसीए विचारों सहित संसाधनों के सतत उपयोग, खाद्य सुरक्षा व पोषण, गरीबी उन्मूलन, एवं समान विकास में छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की भूमिका पर फोकस करते हुए परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से शोध प्राथमिकताओं पर सहमति होनी चाहिए.

11.10 राज्यों एवं अन्य प्रासंगिक पक्षों को प्रवासी मछुआरों एवं मछली मजदूरों के काम सहित काम की परिस्थितियों में, एवं मात्स्यिकी में पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यायसंगत लाभ सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों को सूचित करने के क्रम में, लैंगिक संबंधों के संदर्भ में, अन्यबातों के साथ, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्णय प्रक्रिया में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिए. मुख्यधारा के लिंग के प्रयासों के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील प्रयासों को डिजाइन करने के क्रम में छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के लिए नीतियों, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के डिजाइन के चरण में लैंगिक विश्लेषण को शामिल करना चाहिए. लैंगिक असमानता की निगरानी एवं उसे संबोधित करने के लिए और सामाजिक बदलाव की दिशा में हस्तक्षेपों के योगदान का पता लगाने के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील संकेतकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

11.11 समुद्री खाद्य उत्पादन में छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की भूमिका को स्वीकार करते हुए, राज्यों एवं अन्य पक्षों को मछली खाने के पोषण संबंधी लाभों की जागरूकता बढ़ाने एवं मछली और मछली उत्पाद की गुणवत्ता का आकलन करने के बारे में ज्ञान प्रदान करने के क्रम में उपभोक्ता शिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत मछली एवं मछली उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा देना चाहिए.

## 12. क्षमता विकास

12.1 राज्यों एवं अन्य पक्षों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी में सक्षम करने के क्रम में उनकी क्षमता को बढ़ाना चाहिए. इसके लिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वैध लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिक संरचनाओं के सृजन के माध्यम से, पूरी मूल्य श्रृंखला के साथ छोटे पैमाने की मात्स्यिकी उपक्षेत्र की सीमा एवं विविधता का उचित तरीके से प्रतिनिधित्व हो. ऐसे ढांचों में महिलाओं की समान भागीदारी की दिशा में काम करने की जरूरत पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. जहां उचित एवं जरूरी हो, महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर स्वायत्त तरीके से व्यवस्थित करने में महिलाओं को सक्षम करने के लिए अलग अवसर एवं उपाय प्रदान किये जाने चाहिए.

12.2 राज्यों एवं अन्य हितधारकों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी को बाजार के अवसरों से लाभ लेने की अनुमति देने के लिए क्षमता निर्माण प्रदान करना चाहिए, जैसे कि विकास कार्यक्रमों के माध्यम से.

12.3 सभी पक्षों को यह पहचान करनी चाहिए कि पुरूषों एवं महिलाओं दोनों को और कमजोर एवं उपेक्षित समूहों को शामिल करते हुए लोगों की जरूरतों

को पूरा करने के लिए लचीला एवं उपयुक्त शिक्षण मार्ग प्रदान करते हुए, क्षमता विकास मौजूदा ज्ञान एवं कौशलों पर निर्मित हो और ज्ञान हस्तांतरण की दो तरफा प्रक्रिया हो. इसके अलावा, क्षमता निर्माण में डीआरएम और सीसीए के संबंध में छोटे पैमाने की मात्स्यिकी समुदायों के लचीलेपन और अनुकूली क्षमता का निर्माण शामिल होना चाहिए.

12.4 सभी स्तरों पर सरकार के अधिकारियों और एजेंसियों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के स्थानयी विकास, एवं यदि उचित हो तो, सफल सह प्रबंधन व्यवस्थाओं को मदद करने हेतु ज्ञान एवं कौशल के विकास के लिए काम करना चाहिए. शोध के क्षेत्र को शामिल करते हुए, शासन एवं विकास प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से शामिल विकेन्द्रित एवं स्थानीय सरकारी ढांचों के लिए छोटे पैमाने की मात्स्यिकी समुदायों के साथ मिलकर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए.

## 13. कार्यान्वयन सहयोग और निगरानी

13.1 सभी पक्षों को इन दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार क्रियान्वित करने को प्रोत्साहित किया जाता है.

13.2 राज्यों एवं अन्य सभी पक्षों को सहायता प्रभावशीलता और वित्तीय संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए. विकास भागीदारों, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम सहित क्षेत्रीय संगठनों को इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए राज्यों के स्वैच्छिक प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. ऐसे समर्थन में तकनीकी सहयोग, वित्तीय सहायता, संस्थागत क्षमता विकास, ज्ञान साझा करना और अनुभवों का आदान-प्रदान, राष्ट्रीय छोटे पैमाने की मात्स्यिकी नीतियां विकसित करने में सहायता एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण शामिल हो सकते हैं.

13.3 राज्यों और अन्य सभी पक्षों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में कार्यरत लोगों के लाभ के लिए सरल एवं अनुदित संस्करणों का प्रसार करके भी दिशानिर्देश की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए. राज्यों एवं अन्य सभी पक्षों को छोटे पैमाने की मात्स्यिकी में लिंग एवं महिलाओं की भूमिका पर जानकारी के प्रभावी प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए और महिलाओं की स्थिति व उनके काम में सुधार के लिए उठाये जाने वाले कदमों को स्पष्ट करके लैंगिक मुद्दे पर सामग्रियों का एक विशिष्ट सेट विकसित करना चाहिए.

13.4 राज्यों को निगरानी प्रणालियों के महत्व की पहचान करना चाहिए जो कि उनके संस्थानों को इन दिशानिर्देशों में उद्देश्यों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति का आकलन करने की अनुमति देती है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में समुचित भोजन के अधिकार के प्रगतिशील अहसास के आनंद लेने और गरीबी उन्मूलन पर प्रभाव के आंकलन को शामिल किया जाना चाहिए. नीति निर्माण और कार्यान्वयन में फीडबैक के लिए निगरानी के परिणामों की अनुमति देने वाले तंत्र को शामिल किया जाना चाहिए. लिंग के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण, संकेतक और डेटा का उपयोग करके निगरानी में लैंगिक मुद्दे को ध्यान में रखा जाना चाहिए. राज्यों और सभी पक्षों को भागीदारीपूर्ण आंकलन के तरीकों को विस्तार से बताना चाहिए जो कि पुरूषों एवं महिलाओं दोनों को शामिल करते हुए खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए सतत संसाधन प्रबंधन के लिए छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के सही योगदान के बेहतर समझ एवं दस्तावेजीकरण की अनुमति देती है.

13.5 राज्यों को पार-क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के साथ और नागरिक समाज संगठनों के मजबूत प्रतिनिधित्व के साथ, उपयुक्त रूप में, दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के मंचो को गठित करने के लिए मदद करनी चाहिए. दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन रणनीतियों के विकास एवं अमलीकरण और निगरानी दोनों में छोटे पैमाने की मात्स्यिकी समुदायों के वैध प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए.

13.6 एफएओ को इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय कार्य योजनाओं के साथ, एक वैश्विक सहायता कार्यक्रम के विकास का समर्थन करना चाहिए.

खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में सतत छोटे पैमाने की मात्स्यिकी सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक दिशानिर्देश को जवाबदेह मात्स्यिकी (संहिता) के लिए 1995 एफएओ आचार संहिता के पूरक के रूप में विकसित किया गया है. ये संहिता के समग्र सिद्धांतों एवं प्रावधानों के समर्थन में छोटे पैमाने की मात्स्यिकी के संबंध में पूरक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विकसित किए गए थे. इसके अनुसार, दिशानिर्देश का इरादा छोटे पैमाने की मात्स्यिकी की पहले से ही महत्वपूर्ण भूमिका दृश्यता, मान्यता और वृद्धि का समर्थन करना एवं भूख और गरीबी उन्मूलन की दिशा में वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान करने का है. दिशानिर्देश एक मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए, छोटे पैमाने के मछुआरों और मछुआरों और संबंधित गतिविधियों और कमजोर और उपेक्षित लोगों पर जोर देने सहित जवाबदेह मात्स्यिकी और वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए सतत सामाजिक और आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं.

ISBN 978-93-80802-40-4

9 789380 802404